आदेशिका

न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, नागौर

दीवानी मूलवाद संख्या 89/2011, 357/2014

श्याम सुन्दर बनाम माणक लाल वगैरह

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षपित नोट
27.11.25	अधिवक्तागण उभय पक्षकारान उपस्थित। हस्तगत आदेश के माध्यम से अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी तथा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते असल आम मुख्तारनामा दिनांक 05.04.2024 को रिकॉर्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली साक्ष्य वादी की स्टेज पर है। वादी रामावतार का मुख्य पूरक परीक्षण करवाया गया जिस पर प्रतिवादी ने दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाने पर आपत्ति की जिसे न्यायालय द्वारा पूर्व पेशी पर खारिज की गई। दिनांक 30.07.2025 को एक आवेदन मय असल दस्तावेजात पेश किये गये जिसके साथ दस्तावेज सूची में असल आम मुख्तारनामा मयंक वगैरह बनाम रामावतार कम संख्या 18 पर अंकित किया गया तथा फेहरिश्त सूची के साथ उक्त असल बाद में पेश करने का अंकन किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 600 रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। वादी हस्तगत आवेदन के साथ असल आम मुख्तारनामा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा है जिसे न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी माणकलाल द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि पूर्व में दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने से इंकार किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि पूर्व में मूल आम मुख्तारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था। हस्तगत आवेदन के साथ अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मूल आम मुख्तारनामा पेश किया गया है जो हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होने के कारण रिकॉर्ड पर लिये जाने के योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया	

27.11.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज.)

जाकर मूल आम मुख्तारनामा दिनांकित 05.04.2024 को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि हस्तगत वाद की पत्रावली साक्ष्य वादी के स्टेज पर है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.1975 की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाने पर की गयी आपत्ति न्यायालय द्वारा खारिज की गयी थी। वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2010 को अवैध व शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने इत्यादि बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है। असल विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कब्जे व शक्ति में है अतः न्यायहित में असल रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से न्यायालय में पेश करवाये जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब तथा बहस प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से निवेदन किया कि पूर्व में विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि को न्यायालय द्वारा प्रदर्श करवाने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में असल विक्रय पत्र पेश करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि पूर्व में दिनांक 14.08.2025 को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश के माध्यम से बेचाननामा दिनांक 18.03.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि पर धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदर्श लगाये जाने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त मूल दस्तावेज को तलब किये जाने को कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 16/12/25 को पेश हो।

27.11.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 02, नागौर